


<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज श्री रामकुमार विश्नोई पुत्र श्री भजनलाल निवासी चक-एच.डब्ल्यू.एम. पोस्ट 18 के.जे.डी.तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर : ब ना म : सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला प्रथम सूचना अपील संख्या 198/17 (अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई.एक्ट)</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>30.10.17</p>	<p style="text-align: center;"><b>: निर्णय :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. उभयपक्ष हाजिर नहीं।</li> <li>2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन-पत्र दिनांक 02.06.17 में वर्णित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला से चाही गई थी। सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है।</li> <li>3. सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला द्वारा ना तो अपील का जवाब पेश किया गया व ना ही उनके प्रतिनिधि नियत पेशी पर उपस्थित आये है।</li> <li>4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत नागरिकों को किसी लोक प्राधिकारी से ऐसी सूचना मांगने का अधिकार है, जो उस लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध है, या उसके नियंत्रण में है। अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना यदि सहायक लोक सूचना अधिकारी के धारण/नियंत्रण में हो तो वांछित सूचना नियत समयावधि में अपीलार्थी को दी जानी चाहिए थी।</li> <li>5. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला को निर्देशित किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों की पूर्ण पालना करते हुए नियमानुसार अपीलार्थी के प्रार्थना-पत्र का निस्तारण 15 दिवस के अंदर किया जा कर उसकी सूचना जरिये रजिस्टर्ड डाक से अपीलार्थी को आवश्यक रूप से भिजवाई जावे।</li> <li>6. सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला को पाबन्द किया जाता है कि भविष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जारी नोटिस का जवाब समयावधि में इस न्यायालय में प्रस्तुत करना तथा नियमित पैरवी करना सुनिश्चित करावें। इस संबंध में किसी भी प्रकार की कौताही नहीं बरती जावे।</li> <li>7. निर्णय आज दिनांक 30.10.17 को लिखवाया जा कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफतर हो</li> </ol> <p style="text-align: center;">   (अनिल गुप्ता)  प्रथम सूचना अपील अधिकारी  एवं जिला कलक्टर, बीकानेर  प्रथम सूचना अपील अधिकारी  एवं जिला कलक्टर, बीकानेर </p>	